सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 14, बुधवार, शाके 1944-मई 4, 2022 *Vaisakha 14, Wednesday , Saka 1944- May 4, 2022*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 28, 2022

संख्या प.17(18)नविवि/नियम/2021 :-"सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (SSIP) 2021 के तहत कार्य करने वाली पात्र अलाभकारी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं उनकी विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.17(9)नविवि/नियम/2019 दिनांक 22.07.2019 एवं विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.17(18)नविवि/नियम/2021 दिनांक 09.12.2021 द्वारा प्रीमियम दरों, बाह्य विकास शुल्क, बी.एस.यू.पी. शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क व भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।

विभागीय आदेश क्रमांक प.17(18)नविवि/नियम/2021 दिनांक 01.12.2021 द्वारा पालिका क्षेत्र में 2000 व.मी. परिषद क्षेत्र में 1500 व.मी. एवं निगम क्षेत्र में 1000 व.मी. भूमि स्थानीय स्तर पर निःशुल्क आवंटन की छूट प्रदान की गयी है।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.2(7)F.D./Tax/2021-01 दिनांक 12.04.2022 के अनुसार उपरोक्त प्रदत्त छूटों के साथ ही नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 14 के अन्तर्गत नीलामी से आवंटित भूमि, नियम 18 के तहत एवं विभिन्न उद्देश्यो हेतु भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत आवंटित भूमि तथा अन्य माध्यम से आवंटित भूमि एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियन, 2012 के अंतर्गत आवंटित भूमि पर लीज राशि में उक्त संस्थाओं को शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुंजी लाल मीना,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।